



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—२, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, ९ नवम्बर, २०२१

कार्तिक १८, १९४३ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—१

संख्या ८९७ / ७९-वि-१-२१-२(क)-११-२०२१

लखनऊ, ९ नवम्बर, २०२१

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४ सन् २०२१) जिससे राज्य कर अनुभाग—२ प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८ सन् २०२१)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं—

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ कहा जायेगा।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 7 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 7 में, उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा और उसे तारीख 01 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न हो, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार,”।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे, पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।”

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

धारा 35 का संशोधन

धारा 44 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

“किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।”।

6—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा और उसे तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :

“परन्तु यह कि धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर व्याज सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियाँ आरम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती हैं, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।”।

धारा 50 का संशोधन

7—मूल अधिनियम, की धारा 74 में, स्पष्टीकरण (1) में, खण्ड (ii) में, शब्द और अंक धारा 74 का संशोधन “धारा 122, 125, 129 और 130 के” स्थान पर, शब्द और अंक “धारा 122 और 125” रख दिये जाएंगे।

8—मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा धारा 75 का संशोधन दिया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद “स्वनिर्धारित कर” में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत की गयी ऐसी जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।”

9—मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा धारा 83 का संशोधन रख दी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) जहाँ, अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय हो कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।”।

10—मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परस्तुक बढ़ा दिया धारा 107 का जाएगा, अर्थात् :

“परंतु यह कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।”।

11—मूल अधिनियम की धारा 129 में,—(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के धारा 129 का संशोधन स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

“(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है,”।

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) माल या वाहन को निरुद्ध करने वाला या उसका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसी निरुद्धता या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस तामील किये जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।”।

(iv) उपधारा (4) में, शब्द “ब्याज या शास्ति” के स्थान पर, शब्द “शास्ति” रख दिया जाएगा;

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

"(6) जहाँ किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन शास्ति की धनराशि का संदाय करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु यह कि परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन निर्मुक्त कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहाँ निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का हो या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना हो, वहाँ उक्त पन्द्रह दिन की अवधि में समुचित अधिकारी द्वारा, कटौती की जा सकेगी ।"

धारा 130 का
संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 130 में,—(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर, शब्द "जहाँ" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय शास्ति की रकम के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर संदेय कर के सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" रख दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) निकाल दिया जाएगा ।

धारा 151 का
संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रलूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।"

धारा 152 का
संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 152 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) शब्द "किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए" के पश्चात् शब्द "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

अनुसूची 2 का
संशोधन

15—मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 निकाल दिया जायेगा और उसे तारीख 1 जुलाई, 2017 से निकाला गया समझा जायेगा ।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

अनुल श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव ।